

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान

किशनलाल

बनाम

राणासिंह

किस्म मुकद्दमा

धारा-225

मि. नं.

195/2016


सन्

अभिभाषक अपीलान्त

श्री शैलेंद्र पोषवाल

अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट

श्री सुदाश रठोर
R-1/203

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-11-22	<p>पञ्जावली पेशा हुई। अन्नित्राषक अपीलान्त व अपीलान्त को रूक-रूक कर तीन बार आवाने लगावाई गई फिर भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पञ्जावली का अवलोकन किया गया। अन्नित्राषक अपीलान्त द्वारा रेस्पॉन्डेंट को नोटिस तामील जारी रखे गये। आदिनाम तक नहीं करवाई गई है। अन्नित्राषक अपीलान्त को पूर्व में तामील करवाये जाने हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। अतः पञ्जावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में श्वारिज की जाती है। पञ्जावली फेसल शमर होकर बाद तामील तक्मील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> डॉ० अनुपमा टेलर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा </p>	



रज

गैडर
श्री श्री लालू प्रसाद
पुत्रा की / काद-नेत्र सिद्ध
होकर पेश की

(भागवन्ती जेठवानी)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

3-9-16

न्यायालय :- भू-प्रबन्धक एवं राजस्व पदेन अधिकारी कोटा केम्प
झालावाड राज०

किशनलाल वलद हिन्दू सिद्ध जाति सौध्या आयु 65 साल निवासी
दांता तहसील पिडावा जिला झालावाड राज० --- अपीलान्ट

बनाम

- 1-- दाणु सिद्ध आयु 45 साल वलद शिवलाल
- 2-- अर्जुन सिद्ध वलद शिवलाल आयु 35 साल
- 3-- श्यामसिद्ध वलद देवीसिद्ध आयु 28 साल अकवाम सौध्या सकनाये
ग्राम पिपलिया तहसील पिडावा जिला झालावाड राज०
- 4-- हरि सिद्ध आयु 60 साल वलद मोतीलाल जाति सौध्या निवासी
पिपलिया तहसील पिडावा
- 5-- गोर्धनलाल आयु 35 साल वलद किशनलाल जाति सौध्या निवासी
दांता तहसील पिडावा जिला झालावाड
- 6-- हो ~~सिद्ध~~ आयु 31 साल वलद किशनलाल जाति सौध्या निवासी
दांता तहसील पिडावा
- 7-- नर सिद्ध आयु 28 साल वलद किशनलाल जाति सौध्या निवासी
दांता तहसील पिडावा
- 8-- मोड सिद्ध आयु 26 साल वलद हरि सिद्ध जाति सौध्या निवासी
पिपलिया तहसील पिडावा जिला झालावाड राज०
- 9-- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला
झालावाड राज० --- रैस्पोंडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 6.6.2016

राजस्व लोक अदालत केम्प टाबला भोज, प्रकरणा

बनान- दाणु सिद्ध- बनाम- किशनलाल वगेराह,

धारा 188, 209 राज. टी. एक्ट, उपखण्ड अधिकारी

पिडावा जिला झालावाड

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न अपील माननीय न्यायालय मे सादर प्रस्तुत
कर निवेदन करता है कि:-

किशनलाल

1-- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध और

पत्र संग्रह सार से विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।

(Signature)